



कार्यालय सचिवालय

अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद

International Council of Religions

वेबसाइट: www.icr-int.org

Ref No.: - ICR/2025/68290

Dated: - 30/10/2025

अधिसूचना

विषय: वैश्विक, क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर पर अंतर-धार्मिक तनावों व सांप्रदायिक संघर्षों के शांतिपूर्ण निवारण हेतु 'वैश्विक अंतर-धार्मिक मध्यस्थता एवं सुलह तंत्र' ("Global Interfaith Mediation & Reconciliation Mechanism - GIMRM") की विधिक स्थापना, मध्यस्थता न्यायाधिकरण, परिचालन संहिता तथा उच्चस्तरीय शांति द्रुत पैनल के गठन संबंधी अधिसूचना।

अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद के संविधान के अनुच्छेद 2 (अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापना, विवाद निवारण एवं मध्यस्थता), संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VI (विवादों का शांतिपूर्ण समाधान - प्रशांत निपटारा) तथा शासी निकाय (Governing Council) एवं 'सार्वभौमिक सर्वधर्म संकल्प' (अधिसूचना सं. 33/2025) के अनुपालनार्थ पारित विशेष संकल्प संख्या MR-34/2025 के अनुसरण में, **धार्मिक एवं सांस्कृतिक संघर्षों के त्वरित, निष्पक्ष, गोपनीय एवं स्थायी समाधान हेतु एक स्थायी संस्थागत तंत्र 'Global Interfaith Mediation & Reconciliation Mechanism (GIMRM)' की स्थापना**, इसकी वैधानिक नियमावली तथा मध्यस्थ न्यायाधिकरण को एतद्वारा विधिक रूप से अधिसूचित एवं प्रवर्तित किया जाता है।

1. संक्षिप्त नाम, अधिकार क्षेत्र एवं विधिक प्राधिकार

- 1.1 यह अधिसूचना 'अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म मध्यस्थता एवं सुलह तंत्र (स्थापना एवं प्रक्रिया) अधिसूचना, 2025' कहलाएगी।
- 1.2 यह मध्यस्थता तंत्र (GIMRM) अंतरराष्ट्रीय, अंतर-धार्मिक, अंतः-धार्मिक (Intra-faith), सांप्रदायिक, पूजा स्थलों के संरक्षण संबंधी विवादों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े मामलों में एक स्वतंत्र विधिक व नैतिक मध्यस्थ निकाय के रूप में कार्य करेगा।
- 1.3 यह तंत्र हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration - PCA) एवं संयुक्त राष्ट्र शांति मध्यस्थता सभाग (UN Mediation Support Unit) के स्थापित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मानकों के अनुरूप संचालित होगा।

2. मध्यस्थता तंत्र के 5 मुख्य संगठनात्मक विधिक स्तंभ

GIMRM का संचालन निम्नलिखित पांच विशिष्ट संस्थागत घटकों द्वारा संपन्न किया जाएगा:

स्तंभ 1: 'वैश्विक सर्वधर्म मध्यस्थता न्यायाधिकरण'

- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, प्रख्यात न्यायविदों एवं शीर्ष धर्मशास्त्रियों का 15-सदस्यीय स्थायी न्यायाधिकरण जो विवादों की औपचारिक सुनवाई व सुलह कराएगा।

स्तंभ 2: 'त्वरित शांति प्रतिक्रिया कोर'

- किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव अथवा हिंसा भड़कने की सूचना पर 24 घंटे के भीतर घटनास्थल पर पहुंचने वाला 5-सदस्यीय बहु-धार्मिक शांति दूत मिशन।

स्तंभ 3: 'ट्रेक-टू कूटनीति एवं संवाद मंच'

- भू-राजनीतिक युद्ध व संघर्षरत राष्ट्रों के मध्य धार्मिक नेताओं, नागरिक समाज व आध्यात्मिक विचारकों के माध्यम से अनौपचारिक शांति वार्ताएं संचालित करना।

स्तंभ 4: 'स्थानीय व जिला सुलह समितियां'

- जमीनी स्तर पर स्थानीय मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च के धर्मगुरुओं की 11-सदस्यीय संयुक्त शांति समितियां जो स्थानीय अफवाहों व तनावों का तत्काल शमन करेंगी।

स्तंभ 5: 'शांति एवं सुलह अनुसंधान केंद्र'

- एआई आधारित सोशल मीडिया विश्लेषण एवं डेटा इंटेलिजेंस द्वारा सांप्रदायिक तनावों की पूर्व-चेतावनी (Early Warning) तंत्र विकसित करना।

3. त्रि-चरणीय मानक मध्यस्थता कार्यप्रणाली

किसी भी विवाद के समाधान हेतु निम्नलिखित त्रि-चरणीय विधिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

1. प्रथम चरण (प्रारंभिक मूल्यांकन एवं गोपनीय संवाद - Fact-Finding & Fact-Sharing): विवादित पक्षों से पृथक-पृथक वार्ता कर उनके मूल सरोकारों, शिकायतों एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का निष्पक्ष आकलन।
2. द्वितीय चरण (संयुक्त सुलह बैठकें - Joint Conciliation Sessions): तटस्थ स्थल (जैसे परिषद का जिनेवा/नई दिल्ली केंद्र) पर दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों की आमने-सामने सौहार्दपूर्ण वार्ता एवं साझा हितों की पहचान।
3. तृतीय चरण ('शांति एवं सुलह समझौता' - Peace & Accord Signing): दोनों पक्षों की सहमति से विधिक रूप से बाध्यकारी 'अंतर-धार्मिक शांति एवं सौहार्द समझौता' (Peace Accord) निष्पादित करना तथा सार्वजनिक सद्भाव घोषणा जारी करना।

4. मध्यस्थता की अनिवार्य आचार संहिता एवं विधिक सिद्धांत

- 4.1 पूर्ण तटस्थता एवं निष्पक्षता: मध्यस्थ दल का कोई भी सदस्य किसी भी पक्ष के प्रति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पक्षपाती नहीं होगा।
- 4.2 शत-प्रतिशत गोपनीयता (Strict Confidentiality): मध्यस्थता सत्रों की समस्त कार्यवाही, दस्तावेज एवं विचार-विमर्श पूर्णतः गोपनीय रहेंगे तथा विधिक साक्ष्य के रूप में किसी न्यायालय में बिना दोनों पक्षों की सहमति के प्रकट नहीं किए जाएंगे।
- 4.3 स्वैच्छिक सहमति एवं सम्मान: कोई भी समझौता दबाव अथवा भय से नहीं, अपितु दोनों पक्षों की स्वतंत्र इच्छा, पारस्परिक सम्मान एवं न्याय के आधार पर होगा।

5. उच्चस्तरीय स्थायी मध्यस्थ एवं सुलहकर्ता मंडल

मध्यस्थता तंत्र के नेतृत्व एवं संचालन हेतु निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का विधिक नामांकन किया जाता है:

1. मुख्य मध्यस्थ व अध्यक्ष: न्यायमूर्ति (डॉ.) एंटोनियो सिल्वा (पूर्व न्यायाधीश, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय - ICJ, हेग)
2. सह-मुख्य मध्यस्थ (वैश्विक कूटनीति): डॉ. तवाक्कुल करमान (नोबेल शांति पुरस्कार विजेता)
3. महानिदेशक एवं मुख्य समन्वयक: डॉ. आर्थर विलियम्स (महासचिव, अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद)
4. प्रमुख विधिक व मध्यस्थता रजिस्ट्रार: न्यायमूर्ति (सेवा.) एस. के. बनर्जी (पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश)

5. प्रतिष्ठित पैनल सदस्यगण: प्रो. (डॉ.) तारिक अल-हाशमी (काहिरा), स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती (भारत), आर्चबिशप थियोडोर म्वांगी (केन्या), भिक्षु केंजिन तानाका (जापान), डॉ. सारा गोल्डस्टीन (USA), सरदार तरलोचन सिंह (भारत)।

6. आपातकालीन मध्यस्थता अनुरोध प्रणाली एवं संपर्क

6.1 कोई भी संप्रभु राष्ट्र, धार्मिक संस्था, नागरिक समाज अथवा विवादित पक्ष केंद्रीय मध्यस्थता रजिस्ट्रार को ऑनलाइन पोर्टल (www.interfaithmediation.org/request) अथवा 24x7 इमरजेंसी हॉटलाइन (+91-11-23345699 / emergency@interfaithmediation.org) के माध्यम से मध्यस्थता हेतु विधिवत आवेदन कर सकता है।

6.2 आवेदन प्राप्त होने के 12 घंटे के भीतर आपातकालीन संज्ञान लिया जाएगा तथा 48 घंटे के भीतर 'प्रारंभिक शांति मध्यस्थता दल' सक्रिय कर दिया जाएगा।

भवदीय,



अधिकृत प्रतिनिधि/विधि प्रकोष्ठ
अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद

दिनांक: 30 / 10 / 2025



अधिकृत प्रतिनिधि/विधि प्रकोष्ठ
अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद